

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)**अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण****यूआईडी संख्या: UPFS/2023/101083/FTP/FATEHPUR/632/CFO****दिनांक: 07-08-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ABHAY PRATAP SINGH INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GATA NO.- 332 AND 675, YUVRAJ NAGAR, SHAHJADPUR, G.T. ROAD KHAGA, FATEHPUR** तहसील - **KHAGA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	4	0	15.50 mt.

तथा प्लॉट एरिया **6250.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ABHAY PRATAP SINGH INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **08-08-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **LAL SINGH, MOB. NO- 7007167133** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-08-2025** से **07-08-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : प्रश्रुत भवन निम्न उपबन्धों के अधीन संस्तुति हैं। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर व विद्युत सुरक्षा आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें
2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय
3- अतिरिक्त अधिभोग / निर्माण हेतु NBC मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर अलग से स्वीकृति ली जाय।
6 -शा0 दिनांक 07.01.22 के अनुसार निर्गत है।
5- अग्निसुरक्षा व्यवस्थाएँ सुदृढ़ रखते हुए सुरक्षा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय, अन्यथा कभी भी कमी पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JASVEER SINGH

F7B98AE468F1BBCB87A9B97DD0761ADC9243FF4C

08-08-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-08-2025**स्थान : FATEHPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.